(3) (32)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 105/2022
श्री वेदपाल शास्त्री पुत्र बृजलाल आर्य, निवासी अजीतपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं वर्तमान बी—207, वैभव विला, सीताराम विहार विस्तार, मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, पिन कोड 302029

बनाम

1. श्री जगदीश प्रसाद गौड, लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।
2. श्री गंभीर सिंह, तहसीलदार चिडावा, जिला झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 11.04.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 25.03.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 105/2022 पर दिनांक 25.03.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/1199—1201 दिनांक 25.03.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5) न्याय/सू0अ0/22/411 दिनांक 06.04.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री वेदपाल शास्त्री पुत्र बृजलाल आर्य, निवासी अजीतपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 23.12.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4)(5) न्याय/सू0अ0/09/496 दिनांक 27.12.2021 के द्वारा तहसीलदार चिडावा एवं निजी सहायक, अति0 जिला कलक्टर झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। जिसके संबंध मे तहसीलदार चिडावा ने अपने पत्र कमांक 29—30 दिनांक 19.01.2022 के द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अति0 जिला कलक्टर झुंझुनूं के निर्देशानुसार पुनः संशोधित पत्र कमांक 21 दिनांक 17.01.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी चिडावा एवं तहसीलदार चिडावा को प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है जिसकी प्रतिलिपि निजी सहायक जिला कलक्टर झुंझुनूं एवं निजी सहायक अति0 जिला कलक्टर झुंझुनूं एवं प्रभारी अधिकारी [illegible] अनुभाग, विधि अनुभाग, सर्तकता अनुभाग, पीजी अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को [illegible] प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय मे भिजवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया था [illegible] संबंध मे तहसीलदार चिडावा ने अपने पत्र कमांक 95—96 दिनांक [illegible] को अपीलार्थी को सूचना [illegible] करवाई जा चुकी है एवं जिला कलक्टर [illegible] को सूचना एकत्रित कर [illegible] कार्यालय के पत्र कमांक 39 दिनांक 02.02.2022 के द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है कि आप द्वारा चाही गई सूचना कुल 199 पृष्ठ की है जिसके प्रति पृष्ठ के हिसाब से कुल 398 रूपये राजकोष मे जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.26 10:13:31 IST
Reason: SelfAttested

(33)

5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक एफ 16 (4)(5) न्याय/सू0अ0/22/411 दिनांक 06.04.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री वेदपाल शास्त्री पुत्र बृजलाल आर्य, निवासी अजीतपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 23.12.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4)(5) न्याय/सू0अ0/09/496 दिनांक 27.12.2021 के द्वारा तहसीलदार चिडावा एवं निजी सहायक, अति0 जिला कलक्टर झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। जिसके संबंध मे तहसीलदार चिडावा ने अपने पत्र कमांक 29–30 दिनांक 19.01.2022 के द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अति0 जिला कलक्टर झुंझुनूं के निर्देशानुसार पुनः संशोधित पत्र कमांक 21 दिनांक 17.01.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी चिडावा एवं तहसीलदार चिडावा को प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है जिसकी प्रतिलिपि निजी सहायक जिला कलक्टर झुंझुनूं एवं निजी सहायक अति0 जिला कलक्टर झुंझुनूं एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, विधि अनुभाग, सर्तकता अनुभाग, पीजी अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को प्रेषित कर प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय मे भिजवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया था जिसके संबंध मे तहसीलदार चिडावा ने अपने पत्र कमांक 95–96 दिनांक 17.02.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं जिला कलक्टर कि विभिन्न शाखाओं से सूचना एकत्रित कर उनके कार्यालय के पत्र कमांक 39 दिनांक 02.02.2022 के द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है कि आप द्वारा चाही गई सूचना कुल 199 पृष्ठ की है जिसके प्रति पृष्ठ के हिसाब से कुल 398 रूपये राजकोष मे जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। चूंकि अपीलार्थी को तहसीलदार चिडावा द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं इस कार्यालय द्वारा सूचना 398 रूपये प्रार्थी द्वारा जमा करवाने पर दी जा सकती है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 11.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.26 10:13:31 IST
Reason: SelfAttested